



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या- 27586 वर्ष 2026

विनोद

.....आवेदक(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....विपक्षी पक्ष(ओं)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता : एस.एम.फराज आई. काज़मी

विपक्षी पक्ष(ओं) के अधिवक्ता : दुर्गेश दुबे, जी.ए., कुलवीर सिंह

न्यायालय संख्या- 65

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री एस.एम.फराज आई. काज़मी, शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री कुलवीर सिंह और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. श्री इमरान खान की बात सुनी गई।
2. यह जमानत याचिका आवेदक की ओर से केस क्राइम नंबर 423/2026 में धारा 191(2), 191(3), 115(2), 352, 351(3), 109(1), 103(1) और 3(5) बीएनएस, पुलिस स्टेशन देवबंद, जिला सहारनपुर के तहत मुकदमे की सुनवाई के दौरान उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।
3. आवेदक के अधिवक्ता ने बताया कि हालांकि आवेदक का नाम उसके पिता और तीन अन्य लोगों के साथ एफआईआर में दर्ज है और एफआईआर के अनुसार सभी आरोपियों ने शिकायतकर्ता से बंदूक छीनकर उसके पिता पर गोली चलाई, जिससे उन्हें चोटें आईं और उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना में शिकायतकर्ता को भी चोट लगी, लेकिन जांच के दौरान जब शिकायतकर्ता का बयान दर्ज किया गया, तो उसने स्पष्ट रूप से कहा कि सह-आरोपी प्रताप उर्फ पप्पू, जो आवेदक का पिता है, ने उसके हाथ से बंदूक छीनकर गोली चलाई, जिससे उसके पिता की मृत्यु हो गई। इसलिए, मृतक को गोली लगने से घायल करने का आरोप सह-आरोपी प्रताप उर्फ पप्पू पर लगाया गया है।
4. उन्होंने आगे तर्क दिया कि यद्यपि वर्तमान मामले में मुखबिर को भी चोटें आई हैं, लेकिन उनकी चोट रिपोर्ट से पता चलता है कि चोट संख्या 1 को छोड़कर उनकी चोटें मामूली प्रकृति की थीं और उनकी चोटें जानलेवा भी नहीं थीं।
5. उन्होंने आगे कहा कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वह 14.6.2026 से यानी पिछले एक महीने से अधिक समय से जेल में है।
6. इसके विपरीत, विद्वान एजीए और मुखबिर के विद्वान अधिवक्ता ने यद्यपि जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, लेकिन आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तथ्यों पर दिए गए तर्क का खंडन नहीं कर सके।
7. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी और मामले के अभिलेखों का अध्ययन किया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

8. हालांकि, आवेदक इस मामले में केवल 14.6.2026 से जेल में है, लेकिन रिकॉर्ड से पता चलता है कि सह-आरोपी प्रताप उर्फ पप्पू मुख्य आरोपी है जिसने गोली लगने से मृतक की हत्या की।

9. इसके अलावा, कथित घटना में मुखबिर को भी चोटें आईं, लेकिन उनकी चोटें जानलेवा नहीं लगतीं और यहां तक कि घायल यानी मुखबिर को लगी चोट के संबंध में भी आवेदक सहित सभी आरोपियों को केवल सामान्य भूमिका सौंपी गई है।

10. इसके अलावा, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक मुख्य आरोपी का पुत्र है, आवेदक के अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान बताए गए उसके झूठे फँसाए जाने के कारण को इस स्तर पर पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है।

11. इसके अलावा, आवेदक का कोई अन्य आपराधिक इतिहास नहीं है।

12. अतः, ऊपर बताए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय में, आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

13. तदनुसार, मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, तत्काल जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

14. आवेदक- **विनोद** को उपरोक्त मामले में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के व्यक्तिगत मुचलके और दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक निर्धारित तिथियों पर निचली अदालत के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(iii) आवेदक किसी भी आपराधिक एवं असामाजिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा।

15. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन पक्ष आवेदक की जमानत रद्द करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा।

16. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निपटान से संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक ही सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे की सुनवाई के दौरान मामले की खूबियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

7 अगस्त, 2026

एके पांडे

(न्यायमूर्ति समीर जैन)



Translated Judgment. Not for Legal Use.